राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2365/2011/झालावाड़ा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, भवानी मण्डी, झालावाड। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स जीनजर चेरीटेबल फाउण्डेशन ट्रस्ट,
भवानमण्डी। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी.सी.सोगानी,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09/05/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 267/2010–11/सीएसटी/झालावाड़ में पारित किये गये निर्णय दिनांक 03.06.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी एक चेरीटेबल ट्रस्ट है जो कि हॉस्पीटल चलाता है। उसके द्वारा ''सी'' फार्म के समर्थन से वर्ष 2008–09 के अवधि में रूपये 85,30,810/– का सामान खरीद किया, जबकि हास्पीटल सेवायें उपलब्धकर्ता ''सी'' फार्म से विभिन्न सामान खरीदने के लिए अधिकृत नहीं है। जिसके कारण कर निर्धारण अधिकारी हॉस्पीटल पर धारा 10(A) Of CST Act का उल्लंघन मानते हुए धारा 10(A) Of CST Act के तहत शास्ति रूपये 10,46,129/– आरोपित कर दी गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 03.06.2011 के द्वारा आरोपित शास्ति रूपये 10,46,129/– में से सीएसटी में चुकाये गये कर रूपये 2,10,976/– कम करते हुए शेष शास्ति रूपये 8,35,153/– को कायम रखा गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा शास्ति कम करने के बिन्दु पर यह अपील पेश की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण के द्वारा धारा 10(A) Of CST Act के तहत राज्य में देय कर के बराबर ही शास्ति आरोपित की गयी थी। जिसे सीएसटी में चुकाये गये कर से कम करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा भूल की गई है, अतः इसे कायम रखा जावें।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि उनका कोई माल खरीद–बेचने का कोई व्यवसाय नहीं है। वह एक चेरीटेबल ट्रस्ट है जो हॉस्पीटल सेवाये उपलब्ध कराता है, जानकारी के अभाव में उनके द्वारा ''सी'' फार्म के समर्थन में कुछ माल खरीद लिया। जिसकी गलती स्वीकार कर विभाग को सहयोग करते हुए कर भी जमा करा दिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा जो शास्ति कम की गयी है वह उचित है अतः विभाग की अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं रेकार्ड व कानूनी प्रावधान का अध्ययन किया गया। धारा 10(A) Of CST Act में धारा 10(A) Of CST Act के उल्लंघन के लिए निम्न प्रकार शास्ति का प्रावधान है :–

> **10(A)** Imposition of penalty in lieu of prosecution- (1) If any person purchasing goods is guilty of an offence under clause (b) or clause (c) or clause (d) of section 10, the authority who granted to him or, as the case may be, is competent to grant to him a certificate of registration under this Act may, after giving to him a reasonable opportunity of being heard, by order in writing, impose upon him by way of penalty a sum not exceeding one-and-a-half times [the tax which would have been levied under sub-section (2) of section 8 in respect of the sale to him of the goods, if the sale had been a sale falling within that sub-section]

इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि अन्तर कर के बराबर से कर की $1^{1/2}$ गुना तक शास्ति आरोपित की जा सकती है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर के बराबर शास्ति आरोपित की है। जिसमें से अपीलीय अधिकारी ने सीएसटी में चुकाये कर को घटाकर बिना "सी" फार्म देय कर के अन्तर के बराबर शास्ति को कायम रखा गया है जो कि CST Act की धारा 10(A) के प्रावधानों के अनुरूप है, साथ ही अपीलीय अधिकारी को धारा 82 के प्रावधानों में शास्ति को कम करने का अधिकार प्राप्त है। जो निम्नप्रकार है:–

82. Appeal to the appellate authority –

(7) The appellate authority may, before disposing of any appeal make such further enquiry as it thinks fit, or may direct the assessing authority or the officer against whose order appeal has been preferred to make further enquiry and report the result of the same to the appellate authority and in disposing of the appeal the said authority may,

(a) in the case of an order of assessment, interest or penalty,

(i) confirm, enhance, reduce or annul the assessment, interest or penalty; or

(ii) set aside the order of assessment, interest or penalty and direct the assessing authority to pass fresh order after such further enquiry as may be directed; and

(b) in the case of any other order, confirm, cancel, vary or remand such order.

जिन प्रावधानों का उपयोग करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा अन्तर कर के बराबर शास्ति को कायम रखा गया है। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी ने कानूनी प्रावधानों के तहत विधिक आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

9-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य